

#1321

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)

ज्वाकीण सेवा शिविर 2025 वैजम् स्थल - अनाखरी

भरा अन्वित - 136

प्र.सं. 1641

दायर दिनांक 01.10.25 निर्णय दिनांक

09/10/25

रिपोर्ट



क्र.सं.	नाम-ग्राम	आ.नं.	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>रानी</u>	<u>67</u>	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>रामाखरी</u> प.ह. <u>जयपुर</u> खातासं <u>67</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर प्रिदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			<u>हस्ताक्षर प्रिदावर</u>	<u>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</u>	

प्रतिलिपि पालनांश:- पटवारी मण्डल कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

तहसीलदार (भू.अ.)

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (भू.अ.)

तहसील कपासन जिला-चितौड़गढ़

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

कपासन